

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नरसिंहपुर(म0प्र0)

// संशोधित कार्यविभाजन आदेश //

क्रमांक- क्यू/एक-11-1/80

नरसिंहपुर, दिनांक- .04.2025

माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर द्वारा इस जिला स्थापना एवं तहसील स्थापना गाडरवारा तथा गोटेगांव में नवीन न्यायिक अधिकारीगण की पदस्थापना किये जाने के फलस्वरूप :-

मैं, अखिलेश शुक्ला, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नरसिंहपुर म0प्र0 सिविल न्यायालय अधिनियम 1958 की धारा-15 व 21(4), एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 8 (7) ,214, 422 (7) 448, के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों के पालन में कार्यविभाजन आदेश दिनांक **13.02.2025** में निम्नानुसार आंशिक संशोधन करता हूं, जो तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा :-

01. कार्यविभाजन आदेश दिनांक 13.02.2025 पृष्ठ क.-3 के सरल क.-3 के सम्मुख कॉलम क.-02 में प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) व विशेष न्यायाधीश (एन0डी0पी0एस0 एक्ट,) नरसिंहपुर के पश्चात उल्लेखित नाम **"श्री अखिलेश कुमार धाकड़"** के स्थान पर **"श्री नीतिराज सिंह सिसौदिया"** स्थापित किया जाता है। तथा उसके सम्मुख स्तम्भ क्रमांक 03 में दर्शित **"ब-सिविल नरसिंहपुर तहसील"** एवं स्तम्भ क्रमांक 04 में दर्शित कंडिका क्रमांक 01 से 11 को विलोपित किया जाता है।

02. कार्यविभाजन आदेश दिनांक 13.02.2025 पृष्ठ क.-3 के सरल क.-2 में नाम **"श्री आलोक मिश्रा"** को विलोपित किया जाता है एवं पृष्ठ क.-3 के सरल क.-2 के पश्चात **सरल क्रमांक-2ए** स्थापित किया जाता है एवं **सरल क्रमांक-2ए** के सम्मुख कॉलम क.-02 में **"प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, नरसिंहपुर की न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश नरसिंहपुर (श्री आलोक मिश्रा)"** स्थापित किया जाता है तथा सरल क.-2ए के सम्मुख कॉलम क.-03 में **"ब- सिविल नरसिंहपुर तहसील"** एवं कॉलम क.-04 में निम्नानुसार कंडिका स्थापित की जाती हैं :-

क.	न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार	वादों/प्रकरणों का प्रकार
(1)	(2)	(3)	(4)
2ए	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, नरसिंहपुर की न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश नरसिंहपुर (श्री आलोक मिश्रा)	अ-सत्र खण्ड	1- प्रधान सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले आपराधिक अपील, पुनरीक्षण एवं जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 482, 483 भा.ना.सु.सं. 2023।
		ब-सिविल नरसिंहपुर तहसील	1- एक करोड़ एक रुपये से दस करोड़ रुपये मूल्यांकन तक के समस्त सिविल वाद प्रवर्तन आवेदन पत्र तथा सिविल विविध मामला। 2- आर्बिट्रेशन एण्ड कन्सीलिएशन एक्ट 1996 की धारा 9 व 11 के अंतर्गत तथा धारा 34, 36 के अंतर्गत आवेदन एवं निष्पादन प्रकरण। 3- इंडियन ट्रस्ट एक्ट के अंतर्गत प्रकरण एवं म.प्र. लोक न्यास अधिनियम से संबंधित समस्त प्रकरण। 4- भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के प्रकरण (भाग-10) को छोड़कर। 5- लघुवाद दावे रू0 501 से 1000 तक। 6- भू-अर्जन के अंतर्गत रिफरेंस व अपील।

क.	न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार	वादों/प्रकरणों का प्रकार
(1)	(2)	(3)	(4)
			7- प्राविशियल इन्सालवेंशी एक्ट के अंतर्गत दावे / याचिकायें। 8- पुलिस थाना गोटेगांव क्षेत्रान्तर्गत घटित मोटर दुर्घटना से संबंधित दुर्घटना सूचना प्रतिवेदन एवं उनसे संबंधित मोटरयान अधिनियम 1988 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण। 9- प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित समस्त सिविल वाद अपीलें एवं अन्य कार्यवाहियां।

03. कार्यविभाजन आदेश दिनांक 13.02.2025 पृष्ठ क्र.-5 के सरल क्र.-5 के सम्मुख कॉलम क्र.-03 में **“ब-सिविल करेली तहसील”** स्थापित किया जाता है, एवं उसके सम्मुख कॉलम नंबर 04 में निम्नांकित कंडिकाएँ स्थापित की जाती हैं:-

क.	न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार	वादों/प्रकरणों का प्रकार
(1)	(2)	(3)	(4)
05	तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, नरसिंहपुर (श्रीमती ज्योति मिश्रा)	ब-सिविल करेली तहसील	1- एक करोड़ एक रुपये से दस करोड़ रुपये मूल्यांकन तक के समस्त सिविल वाद प्रवर्तन आवेदन पत्र तथा सिविल विविध मामला। 2- आर्बिट्रेशन एण्ड कन्सीलिएशन एक्ट 1996 की धारा 9 व 11 के अंतर्गत तथा धारा 34, 36 के अंतर्गत आवेदन एवं निष्पादन प्रकरण। 3- इंडियन ट्रस्ट एक्ट के अंतर्गत प्रकरण एवं म.प्र. लोक न्यास अधिनियम से संबंधित समस्त प्रकरण। 4- भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के प्रकरण (भाग-10) को छोड़कर। 5- लघुवाद दावे रू0 501 से 1000 तक। 6- भू-अर्जन के अंतर्गत रिफरेंस व अपील। 7- प्राविशियल इन्सालवेंशी एक्ट के अंतर्गत दावे / याचिकायें। 8- पुलिस थाना कोतवाली क्षेत्रान्तर्गत घटित मोटर दुर्घटना से संबंधित दुर्घटना सूचना प्रतिवेदन एवं उनसे संबंधित मोटरयान अधिनियम 1988 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण। 9- प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित समस्त सिविल वाद अपीलें एवं अन्य कार्यवाहियां। 10- प्रथम/तृतीय/चतुर्थ जिला न्यायाधीश नरसिंहपुर द्वारा निराकृत सिविल वादों/मोटर दावा प्रकरणों में पारित आज्ञाप्ति तथा अवार्ड के प्रवर्तन

क.	न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार	वादों/प्रकरणों का प्रकार
(1)	(2)	(3)	(4)
			प्रकरण/विविध सिविल प्रकरण अथवा उक्त न्यायालयों के आदेश/निर्णय से उत्पन्न होकर अपील न्यायालय के आदेश के पालन में की जाने वाली समस्त कार्यवाहियां, तथा चेक भुगतान की कार्यवाहियां। 11— प्रथम/तृतीय/चतुर्थ जिला न्यायाधीश, नरसिंहपुर की न्यायालय के द्वारा निराकृत प्रकरणों से उत्पन्न होकर अपील न्यायालय के आदेश के पालन में की जाने वाली समस्त कार्यवाहियां को माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर से अंतरित होकर प्राप्त होने वाले आदेश/मूल अभिलेख एवं विभिन्न पत्रावलियों से संबंधित कार्यवाहियां।

04. कार्यविभाजन आदेश दिनांक 13.02.2025 पृष्ठ क्र.-4 के सरल क्र.-4 के सम्मुख कॉलम क्र.-02 में द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, नरसिंहपुर के पश्चात उल्लेखित नाम **श्री नीतिराज सिंह सिसौदिया** के स्थान पर **श्रीमती कीर्ति कश्यप**, स्थापित किया जाता है एवं पृष्ठ क्र.-5 के सरल क्रमांक-4 के सम्मुख कॉलम क्र.-4 की कंडिका-3 से **"गोटेगांव"** विलोपित किया जाता है।

05. कार्यविभाजन आदेश दिनांक 13.02.2025 पृष्ठ क्र.-5 के सरल क्र.-6 के सम्मुख कॉलम क्र.-02 में चतुर्थ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, नरसिंहपुर के पश्चात उल्लेखित नाम **श्रीमती रश्मिना चतुर्वेदी** के स्थान पर **श्री राममनोहर सिंह दांगी**, उल्लेखित किया जाता है, तथा कॉलम नंबर 02 में उल्लेखित **"ब-सिविल करेली तहसील"** तथा कॉलम क्रमांक 04 में उल्लेखित **कंडिका क्रमांक 01 से 09 को विलोपित** किया जाता है।

06. कार्यविभाजन आदेश दिनांक 13.02.2025 पृष्ठ क्र.-6 के सरल क्र.-7 के सम्मुख सिविल खण्ड कॉलम नंबर 04 की कंडिका 09 में निम्नानुसार संशोधन समाहित किया जाता है:-

"9- तहसील नरसिंहपुर, करेली एवं गोटेगांव के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न गार्जियन एण्ड वार्डस एक्ट के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण एवं उनसे संबंधित प्रोवेट प्रकरण।"

07. कार्यविभाजन आदेश दिनांक 13.02.2025 पृष्ठ क्र.-7 के सरल क्र.-9 के सम्मुख कॉलम क्र.-02 में उल्लेखित नाम श्री भारत सिंह रघुवंशी एवं कॉलम क्रमांक 03 में उल्लेखित "सिविल नरसिंहपुर, करेली एवं गोटेगांव तहसील" तथा कॉलम क्रमांक 04 में उल्लेखित कंडिका 01 से 06 को विलोपित किया जाता है तथा कार्यविभाजन आदेश दिनांक 13.02.25 के पृष्ठ क्र.-8 के सरल क्र.-10 के सम्मुख कॉलम क्र.-4 की **कंडिका क्र.-3** को विलोपित किया जाता है।

08. कार्यविभाजन आदेश दिनांक 13.02.2025 पृष्ठ क्र.-8 के सरल क्र.-12 के सम्मुख कॉलम क्र.-02 में उल्लेखित तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड/न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी नरसिंहपुर के पश्चात नाम **"श्री धर्मेन्द्र नागवंशी"** स्थापित किया जाता है, तथा कॉलम क्रमांक 03 में "सिविल नरसिंहपुर, करेली एवं गोटेगांव तहसील" एवं कॉलम क्रमांक 04 में निम्नानुसार कंडिकाएं स्थापित की जाती हैं:-

क.	न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार	वादों/प्रकरणों का प्रकार
(1)	(2)	(3)	(4)
	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड/न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी नरसिंहपुर (श्री धर्मेन्द्र नागवंशी)	ब-सिविल नरसिंहपुर, करेली एवं गोटेगांव तहसील	1- तहसील नरसिंहपुर, करेली एवं गोटेगांव के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न सिविल वाद जिनका मूल्य पाँच लाख एक रुपये से 1,00,00,000 रुपये मूल्य तक के हो। (आदेश दिनांक से 31 जुलाई 2025 तक) 2- प्राविसियल इन्सालवेंसी अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण रुपये पचास हजार तक। 3- लघुवाद अधिनियम के अंतर्गत बाद रू0 दो सौ एक से पाँच सौ रुपये तक। 4- भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के भाग 10 के अंतर्गत उत्तराधिकार प्रमाण पत्र चाहने के आवेदन पत्र। 5- आपराधिक कार्य मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नरसिंहपुर द्वारा जारी कार्य विभाजन आदेश अनुसार। 6- प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित सिविल प्रकरण, प्रवर्तन आवेदन पत्र तथा विविध सिविल प्रकरण। 7- पूर्व में तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड द्वारा निराकृत किए गये व्यवहार वाद प्रकरणों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध प्रकरण तथा अपीलीय न्यायालय से प्राप्त आदेश/निर्णय संबंधी समस्त कार्यवाहियां।

09. कार्यविभाजन आदेश दिनांक 13.02.2025 पृष्ठ क्र.-10 **तहसील गाडरवारा** के सरल क्र.-2 के सम्मुख कॉलम क्र.-02 में द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, गाडरवारा के पश्चात उल्लेखित नाम **डॉ० श्रीमती अंजली पारे,** के स्थान पर **श्रीमती संतोषी वासनिक,** स्थापित किया जाता है।

10. कार्यविभाजन आदेश दिनांक 13.02.2025 पृष्ठ क्र.-11 **तहसील गाडरवारा** के सरल क्र.-3 के सम्मुख कॉलम क्र.-02 में तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, गाडरवारा के पश्चात उल्लेखित नाम **श्रीमती आरती ढींगरा,** के स्थान पर **श्री पंकज जायसवाल,** स्थापित किया जाता है।

11. कार्यविभाजन आदेश दिनांक 13.02.2025 पृष्ठ क्र.-13 **तहसील गाडरवारा** के सरल क्र.-6 के सम्मुख कॉलम क्र.-02 में उल्लेखित नाम श्री सुनील अहिरवार एवं कॉलम क्रमांक 04 में उल्लेखित समस्त कंडिकाओं को विलोपित किया जाकर **रिक्त न्यायालय** अंकित किया जाता है।

12. कार्यविभाजन आदेश दिनांक 13.02.2025 पृष्ठ क्र.-14 **तहसील गाडरवारा** के सरल क्र.-6 के सम्मुख कॉलम क्र.-04 में कंडिका 03 में **पुलिस थाना पलोहा** जोड़ा जाता है।

13. कार्यविभाजन आदेश दिनांक 13.02.2025 पृष्ठ क्र.-14 **तहसील गाडरवारा** के सरल क्र.-8 के सम्मुख कॉलम क्र.-02 में उल्लेखित **न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय गाडरवारा** विलोपित किया जाकर **“रिक्त न्यायालय”** स्थापित किया जाता है एवं कॉलम क्रमांक 03 में उल्लेखित तहसील गाडरवारा एवं तेदूखेड़ा की क्षेत्राधिकारिता के अंतर्गत आने वाली पंचायत/जनपद पंचायत तथा कॉलम क्रमांक 04 के कंडिका क्रमांक 03, 04, एवं 05 को विलोपित किया जाता है।

क.	न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार	वादों/प्रकरणों का प्रकार
(1)	(2)	(3)	(4)
7ए	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खंड गाडरवारा (श्रीमती कृतिका सिंह)	सिविल तेंदूखेड़ा	1- प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित सिविल प्रकरण प्रवर्तन आवेदन पत्र तथा विविध सिविल प्रकरण। 2- तहसील तेंदूखेड़ा के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न सिविल वाद जिनका मूल्य पाँच लाख एक रुपये से 1,00,00,000 रुपये मूल्य तक के हो। 3- लघुवाद अधिनियम के अंतर्गत बाद रू0 दो सौ एक से पाँच सौ रुपये तक। 4- आपराधिक कार्य मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नरसिंहपुर द्वारा जारी कार्य विभाजन आदेश अनुसार।

14. कार्यविभाजन आदेश दिनांक 13.02.2025 पृष्ठ क.-14 **तहसील गाडरवारा** के सरल क.-7 के सम्मुख कॉलम क.-02 में प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड गाडरवारा एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गाडरवारा के पश्चात **तथा न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय गाडरवारा** स्थापित किया जाता है एवं कॉलम क्रमांक 03 में तहसील गाडरवारा एवं तेंदूखेड़ा के पश्चात **तहसील गाडरवारा एवं तेंदूखेड़ा की क्षेत्राधिकारिता के अंतर्गत आने वाली पंचायत/जनपद पंचायत** स्थापित किया जाता है तथा कॉलम क्रमांक 04 में कंडिका क्रमांक 04 के पश्चात निम्नानुसार कंडिकाएं स्थापित की जाती हैं:-

क.	न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार	वादों/प्रकरणों का प्रकार
(1)	(2)	(3)	(4)
	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड गाडरवारा एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गाडरवारा तथा न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय, गाडरवारा (श्री अजय सिंह यादव)	तहसील गाडरवारा एवं तेंदूखेड़ा, तहसील गाडरवारा एवं तेंदूखेड़ा की क्षेत्राधिकारिता के अंतर्गत आने वाली पंचायत/जन पद पंचायत	1- प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित सिविल प्रकरण प्रवर्तन आवेदन पत्र तथा विविध सिविल प्रकरण। 2- तहसील गाडरवारा एवं तेंदूखेड़ा के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न सिविल वाद जिनका मूल्य पाँच लाख एक रुपये से 1,00,00,000 रुपये मूल्य तक के हो। 3- लघुवाद अधिनियम के अंतर्गत बाद रू0 दो सौ एक से पाँच सौ रुपये तक। 4- आपराधिक कार्य मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नरसिंहपुर द्वारा जारी कार्य विभाजन आदेशानुसार। 5- ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 में लेख किये गये ग्राम न्यायालय की अधिकारिता के अंतर्गत आने वाले सिविल एवं आपराधिक प्रकरण। 6- ग्रामीण न्याय पंचायत के निर्णय एवं आदेशों के विरुद्ध अपीलें पुनरीक्षण धारा-31(ख) म.प्र. ग्राम न्यायालय अधिनियम 1996।

15. कार्यविभाजन आदेश दिनांक 13.02.2025 पृष्ठ क.-16 तहसील गोटेगांव के सरल क.-01 के सम्मुख कॉलम क.-02 में व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोटेगांव श्री बॉबी सोनकर, को विलोपित कर उक्त स्थान पर द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, गोटेगांव, (सुश्री साक्षी शुक्ला) स्थापित किया जाता है।

16. कार्यविभाजन आदेश दिनांक 13.02.2025 के पृष्ठ क.-17 के टिप्पणी के सरल क.-07 में उल्लेखित वाक्यांश "प्रथम जिला न्यायाधीश, नरसिंहपुर (श्री अखिलेश कुमार धाकड़)" के स्थान पर वाक्यांश "प्रथम जिला न्यायाधीश, नरसिंहपुर (श्री नीतिराज सिंह सिसोदिया)" स्थापित किया जाता है।

17. कार्यविभाजन आदेश दिनांक 13.02.2025 के पृष्ठ क.-18 के टिप्पणी के सरल क.-09 में उल्लेखित वाक्यांश "द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, नरसिंहपुर (श्रीमती अंकिता श्रीवास्तव)" के स्थान पर वाक्यांश "तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड (श्री धर्मेन्द्र नागवंशी)" स्थापित किया जाता है।

18. कार्यविभाजन आदेश दिनांक 13.02.2025 के पृष्ठ क.-18 के टिप्पणी के सरल क.-11 में उल्लेखित वाक्यांश "द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, गाडरवारा की न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश (श्री अश्विन परमार)" के स्थान पर वाक्यांश "प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड (श्री अजय सिंह यादव)" स्थापित किया जाता है।



(अखिलेश शुक्ला)

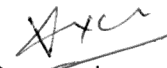
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
नरसिंहपुर (म.प्र.)

पृष्ठांकन क्र.-1040/एक-11-1/80

नरसिंहपुर, दिनांक-17.04.2025

प्रतिलिपि :-

- 1- विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटी), नरसिंहपुर
- 2- प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/पंचम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नरसिंहपुर/गाडरवारा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 3- प्रथम/द्वितीय/तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खंड नरसिंहपुर/गाडरवारा
- 4- द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खंड गोटेगांव की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 5- प्रभारी अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग, नरसिंहपुर की ओर जूनियर सिस्टम एनालिस्ट, नरसिंहपुर /सिस्टम अस्सिस्टेंट, नरसिंहपुर को निर्देशित किये जाने कि वह आदेश की प्रति ई-मेल के माध्यम से समस्त न्यायाधीशगण की ओर प्रेषित करें, एवं आदेश की प्रति CIS साफ्टवेयर में अपलोड करें।
- 6- अध्यक्ष अधिवक्ता संघ, नरसिंहपुर/गाडरवारा
- 7- प्रस्तुतकार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नरसिंहपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



हेतु-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
नरसिंहपुर (म.प्र.)

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नरसिंहपुर (म0प्र0)

// विविध आदेश //

क्रमांक— ० / एक-2-1 / 77

नरसिंहपुर, दिनांक— .04.2025

माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर द्वारा जिला मुख्यालय नरसिंहपुर, तहसील स्थापना गाडरवारा में नवीन न्यायिक अधिकारीगण की पदस्थापना किये जाने के फलस्वरूप जिला मुख्यालय नरसिंहपुर, तहसील स्थापना गाडरवारा, तेंदूखेड़ा एवं गोटेगांव के न्यायालयों के न्यायाधीशगण के अवकाश/अनुपस्थिति/अस्थाई रिक्ति की स्थिति में उत्तरवर्ती न्यायालय द्वारा किये जाने वाले आवश्यक कार्य के संबंध में पूर्व में जारी समस्त आदेशों को अधिष्ठित करते हुये प्रभार सूची में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :-

प्रभार सूची

क्रं.	न्यायालय	प्रथम उत्तरवर्ती न्यायालय	द्वितीय उत्तरवर्ती न्यायालय	तृतीय उत्तरवर्ती न्यायालय
1	2	3	4	5
1	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरसिंहपुर (श्री अखिलेश शुक्ला)	विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज) नरसिंहपुर	प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नरसिंहपुर (श्री नीतिराज सिंह सिसोदिया)	प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नरसिंहपुर के द्वितीय अति. न्यायाधीश (श्री आलोक मिश्रा)
2	प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, नरसिंहपुर (श्री प्रियदर्शन शर्मा)	विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज) नरसिंहपुर	प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नरसिंहपुर (श्री नीतिराज सिंह सिसोदिया)	तृतीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नरसिंहपुर (श्रीमती ज्योति मिश्रा)
3	विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटी) एवं प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नरसिंहपुर के न्यायालय के प्रथम अति. न्यायाधीश (रिक्त न्यायालय)	प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नरसिंहपुर के द्वितीय अति. न्यायाधीश (श्री आलोक मिश्रा)	तृतीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नरसिंहपुर (श्रीमती ज्योति मिश्रा)	चतुर्थ जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नरसिंहपुर (श्री राममनोहर दांगी)
4	प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नरसिंहपुर के द्वितीय अति. न्यायाधीश (श्री आलोक मिश्रा)	प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नरसिंहपुर (श्री नीतिराज सिंह सिसोदिया)	द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नरसिंहपुर (श्रीमती कीर्ति कश्यप)	पंचम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नरसिंहपुर (श्री वैभव सक्सेना)
5	प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नरसिंहपुर (श्री नीतिराज सिंह सिसोदिया)	तृतीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नरसिंहपुर (श्रीमती ज्योति मिश्रा)	चतुर्थ जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नरसिंहपुर (श्री राममनोहर दांगी)	द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नरसिंहपुर (श्रीमती कीर्ति कश्यप)

[illegible]

क्रं.	न्यायालय	प्रथम उत्तरवर्ती न्यायालय	द्वितीय उत्तरवर्ती न्यायालय	तृतीय उत्तरवर्ती न्यायालय
1	2	3	4	5
तहसील तेंदूखेड़ा				
25	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, तेन्दूखेड़ा की न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश (श्री अरविन्द मीणा)	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, गाडरवारा (सुश्री शाम्मी सिंह)	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड गाडरवारा (श्री यश शर्मा)	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, गाडरवारा (श्री विनय सोनी)
तहसील गोटेगांव				
26	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, गोटेगांव (सुश्री साक्षी शुक्ला)	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड नरसिंहपुर (सुश्री रत्नप्रिया श्रीवास्तव)	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड नरसिंहपुर (सुश्री कशिश कुरैशी)	पंचम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड नरसिंहपुर (श्री दिव्यांश लोवंशी)

नोट:-

- 1- स्तम्भ क्रमांक- 2,3,4 एवं 5 में दर्शित न्यायालय के अनुपस्थिति/अवकाश पर रहने से मुख्यालय/तहसील **मुख्यालय में कार्यरत वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी** द्वारा अवश्यक सिविल एवं आपराधिक कार्य सम्पादित किया जावेगा।
- 2- तहसील मुख्यालय गाडरवारा में समस्त जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश गाडरवारा के अवकाश अवधि में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश गाडरवारा की न्यायालयों के संपूर्ण कार्य **श्री नीतिराज सिंह सिसोदिया, प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश नरसिंहपुर** संपादित करेंगे।
- 3- जिला मुख्यालय नरसिंहपुर में समस्त जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश नरसिंहपुर के अवकाश अवधि में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश नरसिंहपुर की न्यायालयों के संपूर्ण कार्य **श्रीमती संतोषी वासनिक, द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश गाडरवारा** संपादित करेंगे।
- 4- तहसील मुख्यालय गाडरवारा में समस्त व्यवहार न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गाडरवारा के अवकाश अवधि में उनकी न्यायालयों के संपूर्ण कार्य **श्री राधाकृष्ण यादव, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड नरसिंहपुर की न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश** संपादित करेंगे।
- 5- जिला मुख्यालय नरसिंहपुर में समस्त व्यवहार न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नरसिंहपुर के अवकाश अवधि में उनकी न्यायालयों के संपूर्ण कार्य **श्री अजय सिंह यादव, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड गाडरवारा** संपादित करेंगे।


 प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
 नरसिंहपुर.